न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	47/25	2025/190	19/02/2025	केदार वगै0 बनाम बत्तीलाल वगै0	22.12.2025	1 लगायत 4

1. केदार पुत्र किशनलाल उम्र 64 साल जाति मीना , निवासी ग्राम खारली ,ढाणी भीटौली।
2. बदरी पुत्र किशन लाल उम्र 66 साल जाति मीना , निवासी ग्राम खारली ,ढाणी भीटौली।
3. हरी पुत्र धुन्धी उम्र 58 साल जाति मीना , निवासी ग्राम खारली ,ढाणी भीटौली।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. बत्तीलाल पुत्र पन्ना जाति बैरवा निवासी ग्राम भीटौली तहसील बामनवास।
2. हरिप्रसाद पुत्र पन्ना जाति बैरवा निवासी ग्राम भीटौली तहसील बामनवास।
3. मूलचंद पुत्र पन्ना जाति बैरवा निवासी ग्राम भीटौली तहसील बामनवास।
4. विमलेश पुत्र पन्ना जाति बैरवा निवासी ग्राम भीटौली तहसील बामनवास।
5. हंसराज पुत्र पन्ना जाति बैरवा निवासी ग्राम भीटौली तहसील बामनवास।
6. भौरी देवी पत्नी पन्ना जाति बैरवा ,निवासी ग्राम भीटौली तहसील बामनवास।
7. उगन्ती पुत्र पन्ना जाति बैरवा ,निवासी ग्राम भीटौली तहसील बामनवास।
8. सरस्वती पुत्री पन्ना जाति बैरवा ,निवासी ग्राम भीटौली तहसील बामनवास।
9. मंजू पुत्री नवरतन, जाति बैरवा निवासी खेमावास तहसील लालसोट जिला दौसा।
10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र ग्राम भीटौली में स्थित भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 5 बीघा का अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 पिता , अप्रार्थी सं0 6 की पति, अप्रार्थी सं0 7 लगायत 9 के पिता पन्ना पुत्र सुकल्या के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 13.06.1974 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, साथ ही प्रार्थीपक्ष ने आवंटन दिनांक 13.06.1974 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:42:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

गई। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई तथा बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस अनुरोध किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 360 रकबा 1.14 है0 , 473/4070 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 है0 स्थित ग्राम भीटौली तहसील बामनवास में स्थित है। जो वर्तमान में गलत रूप से अप्रार्थी सं0 1 लगायत 9 की खातेदारी में अंकित है। उपरोक्त वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 360 व 473/4070 , साबिक खसरा नम्बर 96 मिन तथा 131 से वर्तमान भूप्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये है। उक्त साबिक खसरा नम्बर 96 व 131 स्थित ग्राम भीटौली ,तहीसल बामनवास पूर्व में चरागाह भूमि के रूप में दर्ज रही है। दिनांक 13.06.1974 को ग्राम ककराला में आवंटन सलाहकार समिति की मीटिंग का होना बतलाते हुए उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 95 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन पन्ना पुत्र सुकला का होना बताया गया है तथा उक्त कथित आवंअन के आधार पर नामान्तकरण संख्या 119 दिनांक 06. 05.1975 को तस्दीक करते हुए साबिक खसरा नम्बर 95 रकबा 39 बीघा 15 बिस्वा में से पृथक से 95/5 नम्बर अंकित करते हुए 5 बीघा भूमि का नामान्तकरण उक्त कथित आवंटी पन्ना पुत्र सुकला देह, गैरखातेदारी के रूप में अंकित होना बताया गया है। जबकि मौके पर इस प्रकार का कोई आंवटन कभी नहीं हुआ। उक्त आवंटन वास्तविक रूप से नहीं किया गया है, केवल उक्त समिति की मीटिंग की प्रोसीडिंग दिनांकित 13/06/1974 में ही उक्त आंवटन का मात्र इन्द्राज अंकित है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। आवंटन नियमों के अनुसार आवंटी को आंवटित भूमि को प्रथम वर्ष 50 प्रतिशन काश्त करना अनिवार्य है तथा निरन्तर काश्त के आधार पर आवंटी को गैरखातेदारी अधिकारों से पूर्ण खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि के कब्जे के अभाव में तथा नियमानुसार काश्त के अभाव में आवंटन निरस्तनीय है। आक्षेपित आवंटन दिनांकित 13.06.1974 पूर्णतः विधि विरूद्ध व आवंटन नियमों का उल्लंघन कर किया गया आवंटन है। उक्त आक्षेपित आवंटन प्रकिया दिनांकित 13.06.1974 के सन्दर्भ में मिसल नं0 182 निर्णय दिनांक 21.07.1979 के आधार पर प्रकरण शीर्षकीय सरकार बनाम बृजलाल, हरिया,रामजीलाल आदि ग्राम भीटौली, तहसील बामनवास के नाम का आवंटन भी पूर्व में जिलाधीश महोदय, सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित आक्षेपों के आधार पर निरस्त किया गया है। प्रार्थीगण को उक्त आवंटन संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, केवल आंवटन सलाहकार समिति की मीटिंग दिनांक 13.06.1974 के [illegible] रजिस्टर की नकल ही प्राप्त हो सकी है, आंवटन से संबंधित अन्य रिकॉर्ड [illegible] नहीं है, जिससे भी यह बात भलीभांति प्रमाणित है कि उक्त आवंटन [illegible] रजिस्टर दिनांकित 13.06.1974

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:42:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 47/25 उनवान केदार व अन्य बनाम बत्तीलाल व अन्य

में ही किया गया विधि विरूद्ध आवंटन है ,साथ ही, अधिवक्ता प्रार्थी ने पन्ना पुत्र सुकल्या को हुए आंवटन दिनांक 13.06.1974 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जो निरस्त योग्य हैं आवंटी को उक्त आंवटन ख़सरा नम्बर 95 में से न होकर ख0नं0 96 में से हुआ है। जिसके नवीन नम्बर ख0नं0 360 बने है। उक्त आवंटन 51 वर्ष पूर्व का है। जिसमें प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में 80 वर्ष पूर्व से कब्जा होना अवगत कराया है। जब आवंटन ही 51 वर्ष पूर्व हुआ है तो 80 वर्ष से कब्जा किस प्रकार हो सकता है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत व झूठें तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2022 में आवंटी पन्ना द्वारा एक वाद न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी में प्रार्थना पत्र तहत धारा 183 (बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था। जिसमें न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने निर्णय दिनांक 27.10.2022 द्वारा प्रार्थी पक्ष में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को मात्र कुछ हिस्से पर अतिक्रमि घोषित किया हुआ है। प्रार्थी पक्ष को न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को परेशान करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया है, साथ ही विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पन्ना पुत्र सुकल्या को हुए आंवटन दिनांक 13.06.1974 को यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली एवं अदालत मातहत की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। प्रार्थी पक्ष द्वारा ग्राम कंकराला में स्थित भूमि ख0नं0 95 में से 5 बीघा का पन्ना पुत्र सुकला को हुए आंवटन आदेश के विरूद्ध प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी पक्ष आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत ना कर केवल प्रोसेडिग रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत की है तथा प्रार्थी पक्ष ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हाल खसरा नम्बर 360 रकबा 1.14 है0 व 473/4070 रकबा 0.11 है0 स्थित ग्राम भीटौली के सन्दर्भ में कथित आवंटन दिनांकित 13.06.1974 बाबत् साबिक खसरा नम्बर 95 रकबा 39 बीधा 15 बिस्बा [illegible]त आवंटित 5 बीघा भूमि आवंटन पन्ना पुत्र सुकला में से 11.55 एयर भूमि की हद [illegible] आवंटन निरस्त करने हेतु कथन अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए है। प्रार्थी पक्ष तथा अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:42:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 47/25 उनवान केदार व अन्य बनाम बत्तीलाल व अन्य

भू–प्रबन्ध विभाग के क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार खं0नं0 360 खं0नं0 96 मि0 से बना हुआ होना सिद्व होता है। जबकि प्रार्थी पक्ष द्वारा खं0नं0 95 में हुए आंवटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है, साथ ही प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के अनुसार उक्त विवादित भूमि पन्ना पुत्र सुकल्या हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा0देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) भूमि विकास बैक शाखा पिपलाई के नाम दर्ज है एवं नामान्तकरण 539 दिनांक 28.01.2024 के अनुसार उक्त विवादित भूमि अवंटी के वारिसानों के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो गई है। प्रार्थी पक्ष द्वारा खं0नं0 95 में हुए आवंटन को निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है , जबकि प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित हाल खसरा नम्बर खं0नं0 96 मि0 से बनना होना सिद्व होता है तथा वर्तमान में उक्त विवादित भूमि खातेदारी दर्ज हो चुकी है एवं खातेदारी के बाद भी विरासत नामान्तकरण तस्दीक हो गया है। अपीलार्थी खं0नं0 96 में अप्रार्थी पक्ष को हुआ आवंटन किस प्रकार गलत एवं मिथ्या आधार पर हुआ है सिद्व करने में असफल रहे है एवं ना ही अपीलार्थी पक्ष द्वारा खं0नं0 96 के आंवटन के गलत होने के सबंध में कोई अभिवचन अपनी अपील में अंकित किया है। खं0नं0 96 ग्राम भीटोली तहसील बामनवास किस प्रकार आवंटन नियमों के विरूद्व है इसका भार अपीलान्ट पर है, अपीलार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य एवं राजकीय दस्तावेज/राजकीय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है,जिससे साबित हो सके कि खं0नं0 96 में हुआ आंवटन त्रुटिपूर्ण हो। साबिक खं0नं0 96 से कायम नवीन खं0नं0 360 ग्राम भीटोली वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज हो चुका है जिसका विरासत नामान्तकरण भी सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा तस्दीक हो चुका है। ऐसी स्थिती में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील विधि व प्रचलित नियत 14 (4) आवंटन नियम 1970 के तहत अपोषणीय होने से प्रकरण में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य ही प्रतीत नहीं होता है।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:42:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

[Type text]